

२५/२५

वकील' वादी' उपस्थित नहीं। वादी स्वयं भी उपस्थित नहीं। बुल्की अनुपस्थिति बयत कोर्ट कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार डावाबल लगवाई गई। अतः यह बाद-पशु अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पहावली निगय में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो गया तरीब त्कमिल होकर दखिल दफ्तर हो।